डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. रूपेन्द्र	पिसरान् शिवचरण जाति ब्राह्मण
2. ओमप्रकाश	निवासी खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली
3. कपिल	पिसरान् घनश्याम पुत्र शिवचरण जाति ब्राह्मण
4. श्यामसुन्दर	निवासी चेतराम कोलोनी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली
5. ललित	———————————— वादीगण

बनाम

1. अनीता पुत्री करण	जाति ब्राहम्ण
2. गीता पुत्री गजानन्द	
3. जगदीश पुत्र बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल	निवासी खातीपुरा
4. दीपू शर्मा पुत्र करण	
5. नारायण पुत्र बैकुण्डी पुत्री किशोरीलाल	
6. पुजा पुत्री गजानन्द	
7. पप्पू पुत्र रामस्वरूप	तहसील सूरौठ
8. प्रिति पुत्री बैकुण्डी पुत्री किशोरीलाल	
9. पवन कुमार पुत्र गजानन्द	
10. भरत पुत्र गीता पुत्री किशोरीलाल	
11. मुकेश पुत्र गीता पुत्री किशोरीलाल	जिला करौली
12. मधु पुत्री बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल	
13. मनीषा पुत्री बैकुण्ठी शुनी किशोरीलाल	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

14. ममता– पुत्री बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल

15. राधा देवी पत्नी स्व0 करण

16. रामस्वरूप पुत्र किशनलाल

17. रोशनी पुत्री गजानन्द

18. लक्ष्मी पुत्री गीता पुत्री किशोरीलाल

19. श्याम शर्मा पुत्र करण

20. पिंटूलाल पुत्र श्रीभगवान

21. संन्तोष पुत्र गीता पुत्री किशोरीलाल

जाति ब्राह्मम्ण निवासी

खातीपुरा, तहसील सूरौठ

22. हरस्वरूप पुत्र सुखराम

23. हरिओम पुत्र बैकुण्डी पुत्री किशोरीलाल

24. हरीओम पुत्र करण

जाति ब्राहम्ण

निवासी खातीपुरा

तहसील सूरौठ

जिला करौली

25. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली, (राज०)——————प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक, एवं स्थायी निषेधाज्ञा **मुकदमा नं0 90/2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2916 रकबा 0.13 है0, 2917 रकबा 0.11 है0, 2943 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 29/10/25

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 90/2023 तारीख रजूः– 21.06.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. रूपेन्द्र	पिसरान् शिवचरण जाति ब्राह्मम्ण
2. ओमप्रकाश	निवासी खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली
3. कपिल	पिसरान् घनश्याम पुत्र शिवचरण जाति ब्राह्मम्ण
4. श्यामसुन्दर	निवासी चेतराम कोलोनी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली
5. ललित	——————————————— वादीगण

बनाम

1. अनीता पुत्री करण	जाति ब्राह्मम्ण
2. गीता पुत्री गजानन्द	
3. जगदीश पुत्र बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल	निवासी खातीपुरा
4. दीपू शर्मा पुत्र करण	
5. नारायण पुत्र बैकुण्डी पुत्री किशोरीलाल	
6. पुजा पुत्री गजानन्द	
7. पप्पू पुत्र रामस्वरू॰	तहसील सूरौठ
8. प्रिति पुत्री बैकुण्डी पुत्री किशोरीलाल	
9. पवन कुमार पुत्र गजानन्द	
10. भरत पुत्र गीता पुत्री किशोरीलाल	
11. मुकेश पुत्र गीता पुत्री किशोरीलाल	जिला करौली
12. मधु पुत्री बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल	
13. मनीषा पुत्री बैकुण्ठी शुनी किशोरीलाल	
14. ममता– पुत्री बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

15. राधा देवी पत्नी स्व0 करण

16. रामस्वरूप पुत्र किशनलाल

17. रोशनी पुत्री गजानन्द

18. लक्ष्मी पुत्री गीता पुत्री किशोरीलाल

19. श्याम शर्मा पुत्र करण

20. पिंटूलाल पुत्र श्रीभगवान

21. संन्तोष पुत्र गीता पुत्री किशोरीलाल

जाति ब्राह्मण निवासी

खातीपुरा, तहसील सूरौठ

22. हरस्वरूप पुत्र सुखराम

23. हरिओम पुत्र बैकुण्डी पुत्री किशोरीलाल

24. हरीओम पुत्र करण

जाति ब्राह्मण

निवासी खातीपुरा

तहसील सूरौठ

जिला करौली

25. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली, (राज०)——————प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत इस्तकरारहक</u>

<u>व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिंनाक :— 29.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजीयात, साबिक खसरा नम्बर 37 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा, खसरा नम्बर 43 रकवा 12 विस्वा स्थित ग्राम खातीपुरा, तहसील सूरौठ की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 ता 24 के बुजुर्गान किशोरी, रेवती, रामस्वरूप, लक्ष्मण पिसरान किशनलाल वहिस्सा बराबर के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है।

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नम्बर 37 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा, खसरा नम्बर 43 रकवा 12 विस्वा को उसके पूर्व खातेदारान् से वादीगण के पिता मृतक शिवचरण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.89 को मुबलिग

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

15,000/— रु में खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त विक्रय पत्र को सब रजिस्ट्रार कार्यालय हिण्डौन में दिनांक 01.06.1989 को पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 33 के पृष्ठ संख्या 140 की क्रम संख्या 365 पर पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार उक्त आराजीयात के मृतक शिवचरण जो कि वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता एवं वादी सं0 3 ता 5 के बाबा रहे है, वैधानिक रूप से खातेदार काश्तकार रहे है।

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 37 व 43 के दौराने सेटिलमेंन्ट नवीन खसरा नम्बर 2916 रकवा 13 ऐयर, 2917 रकवा 11 ऐयर, 2943 रकवा 17 ऐयर स्थित ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ कायम किये गए। जिन पर वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज एवं दखिल है। लेकिन उक्त आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दौराने सेटिलमेंन्ट ऑपरेशन तकमील तस्दीक किया गया इसलिये उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तकरण रेवन्यू रिकॉर्ड में नहीं खोला जा सका जिसके फलस्वरूप उक्त आराजीयात की खातेदारी वर्तमान में भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जबकि भूमि विवादग्रस्त से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजीयात के खातेदारी के कॉलम में वादीगण वैधानिक रूप से अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि बांका दिनांक 05.06.2023 को वादी संख्या 1 अपनी आराजीयात पर के.सी.सी. की पत्रावली बनवाने हल्का पटवारी के पास आया हुआ था कि हल्का पटवारी ने रिकॉर्ड देखकर वादी को अवगत कराया कि इन खसरा नम्बर की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर वादीगण ने समस्त रेवन्यू रिकॉर्ड की जॉच की तो उक्त भूल का वादीगण को इल्म हो पाया है वादीगण कुछ प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर उन्हें सत्यता से अवगत कराया एवं भूमि की खातेदारी अपने नाम तकमील कराने का निवेदन किया तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 25 से भी उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तकरण वादीगण के नाम खोलने की प्रार्थना की तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत वादीगण को फरमायी है इसलिये दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि विनाय दावा 05.06.2023 को वादीगण द्वारा अपने कब्जे की आराजीयात को प्रतिवादीगण से अपने नाम तकमील कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा साफ इंकार करने के कारण बमुकाम ग्राम खातीपुरा, तहसील इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि विनाय मुखास्त विवादित भूमि कृषि भूमि होने एवं सकूनत फरीकेन् गॉव खातीपुरा, तहसील सूरौठ में स्थित होने के कारण उक्त दावे के सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है।

वाद पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि दावा हाजा निश्चित कोर्ट फीस पर पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि दावा हाजा अन्दर म्यांद पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि दावा हाजा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88 व 188 के प्रावधानों के तहत पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नं. 25 को आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है।

वाद पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि वादीगण निम्न दादरसी की हस्ब जैल प्रार्थना करते है।

अ. यह कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 37 व 43 स्थित ग्राम खातीपुरा, तहसील सूरौठ से बनने वाले नवीन खसरा नम्बर 2916 रकवा 13 ऐयर, 2917 रकवा 11 ऐयर, 2943 रकवा 17 ऐयर स्थित ग्राम खातीपुरा, तहसील सूरौठ के वादीगण संख्या 1 व 2 बहिस्सा 2/3 एवं वादीगण संख्या 3 ता 5 वहिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार है एवं इसी प्रकार समस्त रेवन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के मुश्तहक है।

ब. यह कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 37 व 43 स्थित ग्राम खातीपुरा, तहसील सूरौठ से बनने वाले नवीन खसरा नम्बर 2916 रकवा 13 ऐयर, 2917 रकवा 11 ऐयर, 2943 रकवा 17 ऐयर स्थित ग्राम खातीपुरा स्थित ग्राम खातीपुरा, तहसील सूरौठ के वादीगण संख्या 1 व 2 बहिस्सा 2/3 एवं वादीगण संख्या 3 ता 5 हिस्सा 1/3 से वादीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करे। उक्त आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें। ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे ब्राद्धीगण के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़े। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

स. यह कि अन्य दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ वहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण वह भी अता फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 12.12.2023 को प्रतिवादी सं0 15,19,22,25 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 08.09.2025 को प्रतिवादी सं0 1ता 14, 16,17,18,20,21,23,24 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1989 उनवानी किशोरी रेवती रामस्वरूप लक्ष्मण पिसरान किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खातीपुरा (जगर) तहसील हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्षगण बहक शिवचरणपुत्र गिलाहडया जाति ब्राहम्ण निवासी खातीपुरा (जगर) तहसील हिण्डौन– क्रेता द्वितीयपक्ष– प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 प्रदर्श–2, पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी रूपेन्द्र पुत्र शिवचरण जाति ब्राहम्ण निवासी खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली का शपथ पत्र वास्ते वयान पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1989 उनवानी किशोरी रेवती रामस्वरूप लक्ष्मण पिसरान किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खातीपुरा (जगर) तहसील हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्षगण बहक शिवचरणपुत्र गिलाहडया जाति ब्राहम्ण निवासी खातीपुरा (जगर) तहसील हिण्डौन– क्रेता द्वितीयपक्ष– प्रदर्श–1 के अनुसार आराजी साबिक खसरा नम्बर 37 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन का 15000/–रूपया में विक्रेतागण प्रथमपपक्ष के द्वारा क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में बेचान किया गया है तथा कब्जा मौके पर भी संभलाना अंकित किया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 प्रदर्श–2 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2423 रकबा 0.36 है0, 2916 रकबा 0.13 है0, 2917 रकबा 0.11 है0, 2943 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अनीता पुत्री करण हि0 1/20, गीता पत्नि स्व0 गजानन्द हि0 3/16, जगदीश पुत्र बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल हि0 1/192, दीपू शर्मा पुत्र करण हि0 1/120, नारायण पुत्र बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल हि0 1/192, नाबालिग पूजा पुत्री गजानन्द संरक्षक माता गीता हि0

उपखण्ड अधिकारी,
हिण्डौन सिटी (करौली)

1/16, पप्पू पुत्र रामस्वरूप हि0 1/8, प्रीति पुत्री बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल हि0 1/192, पवन कुमार पुत्र गजानन्द हि0 1/16, भरत पुत्र गीता पुत्री किशोरीलाल हि0 1/96, मुकेश पुत्र गीता पुत्री किशोरीलाल हि0 1/96, मधु पुत्री बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल हि0 1/192, मनीष पुत्री बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल हि0 1/192, ममता पुत्री बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल हि0 1/192, राधा देवी पत्नि स्व0 करण हि0 1/120, रामस्वरूप पुत्र किशनलाल हि0 1/4, नाबालिग रोशनी पुत्री गजानन्द संरक्षक मॉं गीता हि0 1/16, लक्ष्मी पुत्री गीता पुत्री किशोरीलाल हि0 1/96, श्याम शर्मा पुत्र करण हि0 1/120, श्रीभगवान पुत्र किशोरीलाल हि0 1/24, सन्तोष पुत्र गीता पुत्री किशोरीलाल हि0 1/96, सुनीता पुत्री बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल हि0 1/192, हरिओम पुत्र बैकुण्ठी पुत्री किशोरीलाल हि0 1/192, हरिओम पुत्र करण हि0 1/120 जातियान ब्राहम्ण सा0 खातीपुरा खातेदार तथा हरस्वरूप पुत्र सुखराम हि0 1/12 जाति गुर्जर निवासी सकरघटा तहसील मासलपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 37 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम खातीपुरा तहसील हिण्डौन के पूर्व खातेदार फोटो प्रति किशोरी रेवती रामस्वरूप लक्ष्मण पिसरान किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खातीपुरा (जगर) तहसील हिण्डौन से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1989 को वादी सं0 1,2 के पिता एवं वादी सं0 3 ता 5 के बाबा शिवचरण पुत्र गिलाहडया जाति ब्राहम्ण निवासी खातीपुरा (जगर) तहसील हिण्डौन के द्वारा क्रय किया गया था। किन्तु दौराने सेटिलमेन्ट उक्त साबिक खसरा नम्बरान के नवीन खसरा नम्बर कौन-कौन से कायम किये गये हैं जिसके सम्बन्ध में वादीगण के द्वारा मिलान क्षेत्रफल की नकल पेश नहीं की गई है तथा सेटिलमेन्ट से पूर्व की उक्त साबिक खसरा नम्बरों की जमाबन्दी की नकल भी पेश नहीं की गई है जिससे उक्त विक्रय पत्र की ताईद हो सके। वादीगण के द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2916 रकबा 0.13 है0, 2917 रकबा 0.11 है0, 2943 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील सूरौठ के सहखातेदार हरस्वरूप पुत्र सुखराम हि0 1/12 जाति गुर्जर निवासी सकरघटा तहसील मासलपुर को दावा हाजा में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, जबकि वह उक्त विवादित आराजीयात का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुख्स भी आरिज होने से वादीगण का दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य है। दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों के अभाव में वादीगण उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1989 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अधिकारी साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2916 रकबा 0.13 है0, 2917 रकबा 0.11 है0, 2943 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम खातीपुरा तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

हिण्डौन सिटी (करौली)